Background

Agriculture research and education are the backbone of agriculture development, particularly in the state like Uttar Pradesh, where agriculture is the main contributor to Gross Domestic Product (GDP). In order to co-ordinate and monitor the research, teaching and extension activities in agriculture, being carried out in the state, the Government of Uttar Pradesh established U.P. Council of Agricultural Research (UPCAR) in 1989.

The research on local/regional problems was mostly conducted by State Agriculture Universities (SAUs), that too not extensively on account of paucity of funds till 1993 when State Agricultural Produce Markets Board, U.P. provided assistance of Rs. 4.0 crores as seed money for corpus fund for the establishment of "Shodh Nidhi" or "Research Fund" at UPCAR with the condition that only the interest accrued thereon shall be used for carrying out location specific and priority research in SAUs and other research institutes situated in U.P.

For proper utilization of Shodh Nidhi, UPCAR has developed guidelines, formats, rules and regulations and constituted a Research Advisory Committee (RAC) vide GOUP Order No. 4656/12-5-600/89/93, dated 20-11-1993. The constitution of RAC is as follows:-

•	Chairman-U.P. Council of Agricultural Research	Chairman
•	Director General, UPCAR	Member
•	Vice -chancellors of SAUs of U.P.	Member
•	Secretary, Agriculture, GOUP	Member
•	Special Secretary, Finance, GOUP	Member
•	Director, Rajya Krishi Utpadan Mandi Parishad	Member
•	Director Agriculture/Animal Husbandry/Fisheries/ Horticulture, U.P.	Member
•	Subject Matter Specialist, ICAR	Member

UPCAR provides funds from Shodh Nidhi for carrying out priority research in agriculture in the following broad areas-

1. Natural Resource Management and Engineering.
2. Crops Sciences
3. Horticulture Sciences
4. Plant Protection Sciences
5. Veterinary, Animal Husbandry, Dairy and Fisheries
6. Social Sciences

संख्या- 4656/12-5-6001891/93

प्रेषक,

श्री राजीव चन्द्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 20 नवम्बर, 1993

विषय:-प्रदेश के शिक्षा एवं शोध कार्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण हेतु निधि की स्थापना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आप से यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-4207/12-5-6001891/93 दिनांक 17 नवम्बर, 1993 द्वारा सृजित शोध निधि का संचालन राज्यपाल महोदय संलग्न कार्यविधि में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. मुझे यह भी कहना है कि राज्यपाल महोदय शासनादेश सं0-4207/12-5-6001891/93 दिनांक 17 नवम्बर, 1993 के प्रथम प्रस्तर की अन्तिम पंक्ति में उल्लिखित शब्द "नियमावली" के स्थान पर "कार्यविधि" शब्द पढ़े जाने की भी स्वीकृति प्रदान करते हैं। शासनादेश सं0-4207/12-5-6001891/93 दिनांक 17 नवम्बर, 1993 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(राजीव चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या-4656(1)/12-5-6001891/93 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, निरालानगर, लखनऊ।
2. कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, ए-11 निरालानगर, लखनऊ।
4. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-1।
5. कृषि अनुभाग-8

संलग्नक - यथोपरि।

आज्ञा से,

(राजीव चन्द्र)

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के वित्त पोषण से प्रदेश के कृषि शोध कार्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण की योजना की कार्यविधि

पृष्ठभूमि

प्रदेश में कृषि शिक्षा एवं शोध के लिये वर्तमान में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की सीमित स्थिति के कारण सामान्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वित्त पोषण से उन्हीं शोध कार्यक्रमों पर प्रदेश की विभिन्न स्थानीय परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में बहुत सी ऐसी परियोजनायें जो प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र की हैं, पर कोई विशेष कार्यक्रम सम्पादित नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद् के संगोजन एवं तत्वाधान में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् से इस हेतु उपलब्ध कराये जा सकने वाले वित्तीय संसाधनों से प्राथमिकता क्षेत्र की कतिपय शोध परियोजनायें संचालित कराई जायें।

शोध परियोजनाओं के उद्देश्य

चयनित शोध परियोजनायें ऐसे प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत हों जिनसे कम से कम समय में कृषि उत्पादकता एवं सकल उत्पादन में त्वरित विकास हो सके तथा मार्केटिबिल सरप्लस की मात्रा में भी तदनुसार वृद्धि होने की संभावना हो। इनमें कृषि विपणन की तकनीकी, प्रदेश के विशेष श्रेणी के क्षेत्रों की कृषि उत्पादों की विपणन समस्यायें, उन समस्याओं पर अनुसंधान आदि जैसे विषय भी सम्मिलित होंगे। कृषि उत्पादों में फसलोत्पादन, औद्यानिकी फसलें, पशुधन उत्पाद आदि सभी प्रकार के उत्पादन सम्मिलित होंगे। बाजार की आवश्यकता के आधार पर स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार एवं उनके विपणन को आकर्षक विपणन की श्रेणी में पहुँचाने के संबंध में अपेक्षित पहलुओं पर उपयुक्त शोध कार्यक्रमों को इन परियोजनाओं में सम्मिलित किया जायेगा

निधि का सृजन एवं विनियोजन

उत्तर प्रदेश में कृषि शोध कार्यक्रमों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के वित्त पोषण से एक निधि की स्थापना की जायेगी । मंडी परिषद द्वारा प्रदत्त यह धनराशि उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद के खाते में जमा रहेगी । महानिदेशक, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद इस धनराशि का विनियोजन इस प्रकार से करेंगे कि इससे अधिकाधिक ब्याज/परिलब्धियाँ प्राप्त हो सकें। इस प्रकार से अर्जित ब्याज/परिलब्धियों को प्रतिवर्ष आहरित करके प्रदेश में कृषि शोध कार्यक्रमों के लिये चयनित परियोजनाओं के संचालन पर व्यय किया जायेगा । एक वर्ष में इन परियोजनाओं पर किया जानेवाला व्यय इस निधि से एक वर्ष में प्राप्त ब्याज एवं अन्य परिलब्धियों से अधिक नहीं होगा । इस निधि के अभिलेखों का समस्त रखरखाव उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया जायेगा जहाँ परियोजनावार विवरण भी रखे जायेंगे।

निधि के विनियोजन के लिए निम्नवत् समिति का गठन किया गया है:-

1. महानिदेशक, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद ।
2. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद ।
3. सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश या उनका नामित प्रतिनिधि।

यह समिति इस निधि के विनियोजन के बारे में यथोचित निर्णय लेगी।

इस निधि के मूलधन से कोई भी धनराशि किसी भी दशा में व्यय नहीं की जायेगी यदि किन्हीं परिस्थितियों में यह निधि समाप्त होती है तो उस दशा में मूलधनराशि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद को वापस कर दी जायेगी।

चयनित कार्यक्रम

इन शोध परियोजनाओं के अंतर्गत ऐसे कार्यक्रमों का चयन किया जायेगा जो प्रदेश की विभिन्न एग्रोक्लाइमेटिक तथा सोशियो-इकोनामिक परिस्थितियों के अनुरूप तात्कालिक महत्व के हैं एवं जिनसे अधिकांश कृषक वर्ग को अपना उत्पादन बढ़ाने तथा उत्पाद से अधिकतम लाभ मिलने में सहायता मिल सके। निश्चित है कि इस प्रकार के अधिकांश शोध कार्य छोटे तथा सीमान्त कृषकों को ध्यान में रखकर संचालित होंगे । इन कार्यक्रमों की आर्थिक गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जायेगा । प्रदेश की विशिष्ट कृषि समस्याओं को भी इन कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जायेगा जिनमें वर्षा जल आधारित कृषि, पठारी

(4)

क्षेत्रों में कृषि उत्पादन, जलभराव वाले क्षेत्रों में उपयुक्त फार्मिंग सिस्टम आधारित हैं ।

इन कार्यक्रमों में कृषि उत्पादन एवं तत्सम्बन्धी कार्यकलापों के संदर्भ में उन विभिन्न अवयवों को भी समीक्षा/अध्ययन/शोध के लिये सम्मिलित किया जायेगा, जिनसे उत्पादन वृद्धि,स्वंगुणावत्ता में सुधार लाने के साथ ही साथ प्रसंस्करण, भंडारण आदि जैसे विषय भी सम्मिलित होंगे । कृषि उत्पादन में निवेश, निवेश आपूर्ति, कृषि कार्यकलापों, फसल प्रबंधन, उत्पादन के विपणन, भंडारण आदि जैसे उन विषयों का समावेश होगा जिनका अधिक से अधिक लाभ सीधे उत्पादक को मिले और कृषि उत्पादन विपणन व्यवस्था अधिक संतुलित एवं तर्कसंगत हो सके ।

प्राथमिकताओं का निर्धारण

प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये, शोध कार्यक्रमों के लिये प्राथमिकताओं का निर्धारण करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद,प्रदेश के विभिन्न शोध संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों एवं विशेषज्ञों के साथ सघन विचार-विमर्श कर यथोचित प्राथमिकतायें निर्धारित करेगी ।

परियोजना प्रस्तावों की तैयारी

उक्त प्रकार से निर्धारित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुये कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिये अपेक्षित शोध कार्यक्रमों के प्रस्ताव प्रदेश के तीनों कृषि विश्वविद्यालयों एवं प्रदेश स्थित अन्य शोध संस्थानों द्वारा अपने विशेषज्ञों एवं फैकल्टी द्वारा तैयार कराये जायेंगे ।

इन परियोजना प्रस्तावों में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी:-

1. चयनित शोध परियोजनायें ऐसे प्राथमिकता क्षेत्र में अन्तर्गत हों जिससे कम से कम समय में कृषि उत्पादकता एवं सकल उत्पादन में वृद्धि हो सके ।

(13)

2. ऐसे शोध कार्यक्रम जिनके लिये वित्त पोषण पूर्वतः ही उपलब्ध है, इन प्रस्तावों में सम्मिलित नहीं होंगे ।

3. सभी शोध कार्यक्रम सामान्यतः अल्पकालिक अर्थात अधिक से अधिक तीन वर्षों की अवधि के लिये होंगे तथा इस अवधि में इन परियोजनाओं के निष्कर्ष उपलब्ध होने सम्भावित हों ।

4. इन परियोजना प्रस्तावों में नये वैज्ञानिकों की भर्ती या स्टाफ की भर्ती के अन्तर्गत किसी भी धनराशि उपलब्ध नहीं होगी अपितु परियोजनाकाल के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर ही रिसर्च फैलोशिप यथोचित मात्रा में उपलब्ध कराई जा सकेगी ।

5. एक मुख्य परियोजना अन्वेषक एक बार में अधिक से अधिक दो परियोजनायें ही अपने नेतृत्व में एक साथ संचालित कर सकेगा । परन्तु इस कोष से केवल एक ही योजना संचालित कराने की अनुमति होगी ।

परियोजनाओं का चयन

प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा ।

1. यथोचित शोध परियोजना प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद को प्रस्तुत किये जायेंगे ।

2. उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किसी एक विश्वविद्यालय अथवा प्रदेश के तीनों कृषि विश्वविद्यालयों के परियोजना प्रस्तावों पर अलग-अलग अथवा सम्मिलित रूप से गहन समीक्षा करने के उपरान्त एक समिति के सम्मुख इन प्रस्तावों को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी । समिति की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष करेंगे तथा इसमें महानिदेशक

के अतिरिक्त कृषि सचिव, विशेष सचिव, वित्त विभाग, निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद विषय से सम्बन्धित विभागों (कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यान आदि) के विभागाध्यक्ष, प्रदेश के तीनों कृषि विश्व-विद्यालयों के कुलपति तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सम्बन्धित विषय का विशेषज्ञ प्रतिनिधि सदस्य होंगे ।

उक्त समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित शोध कार्यक्रम के संचालन के आदेश उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्गत कर दिये जायेंगे । तदनुसार परियोजनावार आवश्यक धनराशि सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को उपलब्ध करायी जायेगी ।

अनुश्रवण

उक्त निधि से संचालित शोध परियोजनाओं की प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा एवं सतत अनुश्रवण निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगा:-

1. महानिदेशक, उ0प्र0कृषि अनुसंधान परिषद - अध्यक्ष
2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश - सदस्य
3. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्राद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर । - सदस्य

16.11.93.
संस वित्त

मसौदा

1

11

राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा उ0 प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद को दिये गये 4.00 करोड़ रू0 की शोध निधि के विनियोजन हेतु गठित समिति का कार्यवृत्त ।

कृषि अनुसंधान कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से चलाये जाने हेतु राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद को उपलब्ध कराये गये 4.00 करोड़ रू0 की निधि की स्थापना के संदर्भ में परिषद की 66वीं0 बैठक दिनांक 19.2.1993 में लिये गये निर्णय के अनुरूप इस धनराशि के विनियोजन के लिये कृषि सचिव की अध्यक्षता में आज दिनांक 16.11.1993 को एक बैठक हुयी । इस बैठक में निदेशक, मंडी परिषद/ संयुक्त सचिव, वित्त एवं महानिदेशक, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद ने भी भाग लिया । यह निर्णय लिया गया कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में कृषि शोध को सुदृढ़ करने के लिये उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद को उपलब्ध कराये गये 4.00 करोड़ रू0 की धनराशि वित्त विभाग की सहमति से बनाई गई नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप उ0प्र0 सहकारी बैंक में सावधि खाते ~~में~~ में 3 वर्ष के लिये जमा कर दी जाए ।

(signature)

(सतीश कुमार अग्रवाल)
सचिव,
कृषि विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

(signature) 16/11

।पी0एन मिश्रा।
मण्डी निदेशक

म. द. पाठक
16/XI/93

।मनोदत्त पाठक।
महानिदेशक,
उपकार

(signature)
16.11.93.
सं. स. वित्त

। अवनीश अवस्थी ।
संयुक्त सचिव, वित्त